

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1117/वि0स0/संसदीय/02(सं)/2022

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 24 अप्रैल, 2026

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 1100/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2022, दिनांक 21 अप्रैल, 2026 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के उपवेशन का प्रस्तावित कार्यक्रम, जैसा कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ है, संलग्नक-एक के रूप में आपकी सूचनार्थ संलग्न है।

आपको यह भी सूचित करना है कि दिनांक 30 अप्रैल, 2026 के उपवेशन में महिला सशक्तिकरण पर अनवरत चर्चा प्रस्तावित है।

उक्त प्रसंग में मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि उक्त कार्यक्रम में विधायी कार्यों के लिए निर्दिष्ट दिनांक को संलग्नक-दो में उल्लिखित अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक एवं कतिपय अन्य विधेयकों का पुरःस्थापन आदि यदि कोई हो, किये जाने की सम्भावना है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1117(1)/वि0स0/संसदीय/02(सं)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 2-विशेष कार्याधिकारी, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 3-मा0 मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 4-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा0 अध्यक्ष की सूचनार्थ,

- 5-मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा0 नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
- 6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 7-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 8-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 9-समस्त मा0 मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
- 10-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 11-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 12-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा,
- 13-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,
- 14-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 15-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 16-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 17-प्रमुख सचिव/सचिव, अन्य राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,
- 18-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 19-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
- 20-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 21-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 22-पुलिस आयुक्त, लखनऊ,
- 23-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 24-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 25-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 26-निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 27-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
- 28-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,
- 29-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
- 30-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

अर्चना श्याम,
उप सचिव।

(संलग्नक-एक)

उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 30 अप्रैल, 2026 का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम, जैसा कि
मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ

अप्रैल, 2026

30 गुरुवार

1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के
पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि यदि कोई हो।

2-महिला सशक्तिकरण पर अनवरत् चर्चा।

विगत सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश

- 1-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2026
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2026)
- 2-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2026)
- 3-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2026)
- 4-उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2026
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-8 सन् 2026)
- 5-उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2026
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2026)
- 6-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2026)
